FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0340 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/12/2025 15:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/12/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:17 बजे **Time To (समय तक):** 16:11 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/12/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/12/2025 15:42:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE THANA KAPARDA, JILA JODHPUR RURAL

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

[redacted]

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VIKASH

(b) Father's Name (पिता का नाम): JORARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2004 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHEJARLI KALAN, LUNI JILA.JODHPUR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHEJARLI KALAN, LUNI JILA JODHPUR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARVEEN KUMAR		पिता:JAGDISH	1. SURAKHPUR,JHAJJAR,झज्जर, हरियाणा,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण): -

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	एक लाख पचास हजार रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व एक लाख पचास हजार रूपये डमी करेन्सी	3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 3,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,ACB, जोधपुर ग्रामीण विषय- रिश्वत लेते हुऐ पकड़वाने बाबत।महोदय जीनिवेदन है कि मैं विकास S/o जोराराम जाति विश्नोई उम्र 21 साल निवासी खेजड़ली कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर का निवासी हू मेरे सगे मामाजी रमेश S/o शिवलाल जी जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान को मुकदमा संख्या 811/2025 पुलिस थाना सदर गुडगांव हरियाणा में वाहन चोरी में गिरफ्तार किया हुआ है मैं इस मामले में कल दिनांक 18/12/2025 को गुडगांव हरियाणा गया था वहा पर क्राईम ब्रांच पालम विहार में थानें में तैनात श्री प्रवीण कुमार ASI ने मेरे से मेरे मामाजी रमेश को पुलिस रिमाण्ड में मारपिट व परेशांन नहीं करने व हैल्प करने के बदले में मेरे से 3 लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी आज प्रवीण कुमार ASI ने मेरे मामाजी को जोधपुर रिमाण्ड पर लेकर आ रहे है मैं उन्हे रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु, मेरी प्रविण कुमार ASI से कोई रंजिष नहीं है व कोई लेन-देन बकाया नहीं है।रिपोर्ट करता हु कानूनी कार्यवाही करवाऐ।दिनांक 19/12/2025भवदीयएसडी विकासनामः-विकासपिता -जोराराम जी विश्नोईतह. लुणी, थाना लुणीजिला जोधपुर राज.मो. कार्यवाही पुलिस दिनांक 19/12/2025 समय 12.17 पी.एम.इस समय मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री विकास पुत्र श्री जोराराम जाति विष्नोई उम्र 21 साल निवासी खेजड़ली कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट मे लिखे तथ्य सही होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं स्वयं के हस्त लिखित होना बताया साथ ही यह भी बताया कि मेरे सगे मामाजी रमेश पुत्र श्री शिवलाल जी जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर को प्रकरण संख्या 811/2025 पुलिस थाना सदर जिला गुडगांव राज्य हरियाणा में वाहन चोरी में गिरफ्तार किया हुआ है, मैं इस मामले में कल दिनांक 18/12/25 को गुडगांव हरियाणा गया था वहा पर तैनात श्री प्रवीण कुमार ASI ने मेरे से मेरे मामाजी रमेष को पुलिस रिमाण्ड में परेशान नहीं करने व हैल्प करने के बदले में मेरे से 3 लाख रूपये रिश्वत के मॉगे थे आज प्रवीण कुमार ASI मेरे मामाजी को रिमाण्ड पर जोधपुर लेकर आ रहे है मैं उन्हे रिश्वत राशी लेतें हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु, मेरी प्रवीण कुमार ASI से कोई रंजिश नहीं है व कोई लेन-देन बकाया नहीं है। मैं अपने जायज काम के लिए प्रवीण सिंह ASI को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी रिपोर्ट पर उचित कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया।एसडी विकास एसडी/19.12.2025(पारस सोनी०)एसडी देवीदास-एसडी राकेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक20.12.2025 20.12.2025 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर ग्रामीण दिनांक 19.12.2025 वक्त 01.00 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री भीमसिंह कानि. 446 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री भीमसिंह कानि. 446 से परिवादी श्री विकास का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री विकास एवं श्री भीमसिंह कानि. 446 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाईस की जाकर परिवादी श्री विकास व श्री भीमसिंह कानि. 446 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 01.05 पी0एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भीमसिंह कानि. 446 को सुपर्द कर परिवादी श्री विकास व संग्दिध आरोपी प्रवीण ए0एस0आई0 के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री भीमसिंह कानि. 446 को हिदायत कर परिवादी श्री विकास के निजी वाहन से डांगियावास की तरफ रवाना किया जाकर भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को हिदायत दी गई कि परिवादी व संदिग्ध के बीच मांग सत्यापन वार्ता करवाकर कार्यवाही की गोपनीयता रखतें हुए मांग सत्यापन की कार्यवाही करके लावे। वक्त 03.00 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधी0 भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण द्वारा श्रीमान मुख्य वन सरंक्षक जोधपुर के नाम पत्र क्रमांक 2152 दिनांक 19.12.2025 की तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने बाबत पत्र प्रेषित कर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर श्रीमान मुख्य वन संरक्षक जोधपुर के कार्यालय के लिए रवाना किया गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय दो स्वतन्त्र गवाह के उपस्थित

आया। जिस पर उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाह को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुये पृथक पृथक परिचय पूछा तो उन्होने क्रमषः श्री राकेश पुत्र श्री कुशला राम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी छापला तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर मोबाइल न0 एंव श्री देवीदास पुत्र श्री सोहनदास जाति वैष्णव उम्र 23 वर्ष निवासी रतकुडिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर मोबाइल न0 होना बताया। वक्त 07.15 पी.एम. पर श्री भीमसिंह कानि. 446 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं अति0 पुलिस अधी0 को स्विच ऑफ सुदा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपर्द किया। डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया तथा श्री भीमसिंह कानि. 446 द्वारा मन अति0 पुलिस अधी0 को अवगत करवाया कि मै कार्यालय से मय परिवादी श्री विकास के निजी वाहन से रवाना होकर डांगियावास पहुचे। मेरे द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी श्री विकास को सुपर्द कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए जयपुर रोड पर स्थित दुकानों के पास चला गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री विकास मेरे पास जयपुर रोड स्थित दुकानों के पास आया जिस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री विकास ने मेरे को बताया कि मेरी श्री प्रवीण सिंह एएसआई से मांग सत्यापन वार्ता हुई है। मै आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना डांगियावास पहुचा। जहां पर मेरे मामा श्री रमेश पुलिस थाना डांगियावास में हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में थे। वहां पर मुझे श्री प्रवीण कुमार ए.एस.आई. मिले। जिनसे मेरी मेरे मामा की केस में मदद करनें व मारपीट नही करनें की एवज में श्री प्रवीण कुमार ए.एस.आई. हरियाणा पुलिस द्वारा मेरे से 3 लाख रूपयें रिश्वत राशी की मांग की गई। कल दिनांक 20.12.2025 को रिश्वत राशी देनें बाबत बताया। इसके बाद मेरे द्वारा श्रीमान कों जरिये मोबाइल हालात निवेदन किय गये। श्री भीमंिसह कानि. द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तों श्री प्रवीण कुमार ए.एस.आई. हरियाणा पुलिस द्वारा परिवादी श्री विकास सें उनके मामा की केस मे मदद करनें, मारपीट नही करनें की एवज में 3 लाख रूपयें रिश्वत राशी की मांग करना पाया गया। मांग सत्यापन वार्ता के आधार पर श्री प्रवीण कुमार ए.एस.आई. हरियाणा पुलिस के विरूद् आईन्दा ट्रैप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर को निवेदन किये गये। वक्त 08.50 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो जाब्ता की आवश्यकता होनें पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर को निवेदन किया गया। जिस पर उनके द्वारा उप महानिरीक्षक कार्यालय एसीबी जोधपुर से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, एसीबी चौकी जोधपुर से श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, स्पेशल यूनिट जोधपुर से श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 , श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 214 को चौकी प्रभारी से वार्ता करके बुलानें हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरों जाब्ता कों दिनांक 20.12.2025 को समय 9 ए.एम. पर उपस्थित होनें बाबत श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के कार्यालय से पाबन्द किया गया। वक्त 09.00 पी.एम. पर परिवादी श्री विकास को रिश्वत राशी में दी जानें वाली राषि 3 लाख रूपयें की व्यवस्था करनें व दिनांक 20.12.2025 को समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 09.05 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाह कों दिनांक 20.12.2025 को समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय सें रूखस्त किया गया। वक्त 09.15 पी.एम. पर चौकी पर उपस्थित ब्यूरों स्टाफ व अधिकारीगण कों दिनांक 20.12.2025 को समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 20.12.2025 वक्त 9.50 ए.एम. पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के कार्यालय से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, एसीबी चौकी जोधपुर से श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, स्पेशल यूनिट जोधपुर सें श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 व श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 214 उपस्थित चौकी आयें है। वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विकास उपस्थित आया और बताया कि मै रिश्वत राशी एक लाख पचास हजार रूपयें की ही व्यवस्था करके ही लाया हूं। शेष डमी करेन्सी के तीन सौ नोट पांच सौ-पांच सौ रूपयें के व्यवस्था करके उपस्थित हुआ हु। वक्त 10.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री देवीदास कनिष्ठ सहायक व श्री राकेश कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। वक्त 10.15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थित उक्त दोनो गवाहान व परिवादी श्री विकास का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री विकास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर चालु कर उसमें परिवादी श्री विकास एवं संदिग्ध आरोपी श्री प्रवीण कुमार ए0एस0आई के मध्य हुई कल दिनांक 19.12.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य मांग के अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली की गई एवं दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये जाकर गवाह बननें की सहमति दी। वक्त 11.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री विकास को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा तों परिवादी श्री विकास ने अपनें पास से 500-500 रूपयें के 300 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 1,50,0000/- रूपयें पेश किये एवं शेष रूपयों की व्यवस्था नही होनें सें

1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रूपयें) जिसमें 500-500 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाले डमी करेंसी के कुल 300 नोट एक पीले कलर की प्लास्टिक की थेली सहित पेश किये। इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 3,00,000/- रूपयें (1,50,000 रूपयें भारतीय मुद्रा एवं 1,50,000 रूपयें डमी करेंसी) पेश किये। उक्त पेश की गई, डमी राशि के नोटों पर क्रमवार 301 से 600 तक अंक अंकित किये जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री विकास तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री देवीदास व राकेश ने लघु हस्ताक्षर किये गये। जिस पर फिनोफथलीन पाउडर लगवानें हेतु श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की षीषी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में कुल 600 नोट, कुल राशि 3,00,000 रूपयें (300 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 300 नोट डमी करेंसी) को एक अखबार पर रखा जाकर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के द्वारा उक्त सभी नोटों एवं डमी करेंसी एवं पीले कलर की प्लास्टिक की थेली पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर 500 रूपये की 100-100 नोटों की 6 गड्डीया बनाई, उक्त 6 गड्डीयों के उपर व नीचे भारतीय मुद्रा के प्रचलित नोटो को लगाया गया, उस पर रबड़ लगाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्लास्टिक की थैली में श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। ताबाद परिवादी श्री विकास की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री देवीदास से लिरवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन एवं अपने आधार कार्ड के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को कुल 3,00,000/-रूपये (300 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के एक लाख पचास हजार रूपये एवं 300 नोट डमी करेंसी एक लाख पच्चास हजार रूपये) जो प्लास्टिक की थैली में है, उक्त राशि श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी के पहने हुए जैकेट की अन्दर की बायी और की जैब में रखवाई गई, और परिवादी को हिदायत दी गई की प्लास्टिक की थैली में रखी रिश्वत राशि को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहा रखता अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर आप अपने मोबाईल नं से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक साफ प्लास्टिक की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्लास्टिक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के या नोटो के पैकेट के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि का पैकेट को प्राप्त किया हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार के उपर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार एवं उक्त प्लास्टिक के गिलास को भी ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक द्वारा जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रैप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रैप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास कुछ आकस्मिक खर्च के 4000/-रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित अलमारी में ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से रखवाया जाकर पाउडर लगाने वाले ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय मे छोड़ा गया। फर्द पेषकसी की फर्द मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 2.11 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतन्०त्र गवाहान श्री राकेश एंव श्री देवीदास, परिवादी श्री विकास एवं परिवादी के साथ एक व्यक्ति श्री ओमजी, ब्यूरो जाब्ता श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री भंवरलाल हैड कानि. 100, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री देवाराम कानि. 373, श्री गनेश कुमार कानि. 219 श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री बलराम कानि. 252 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एंव ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5813 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एंव दो निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना डांगियावास की तरफ रवाना हुए। वक्त 2.45 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय

हमराहीयान के डांगियावास पहुचा। सरकारी वाहन व दोनों निजी वाहन को गोपनीय रूप से खडा करके परिवादी श्री विकास को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक से रिष्वत राशि लेन देन के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरों जाब्ता के वाहनों को खडा करके बस स्टैण्ड डांगियावास पर रिश्वत राशी लेन देन के इन्तजार में मुकीम हुए। थोडी देर बाद परिवादी श्री विकास बिना इशारा किये ही वापिस आया। जिससे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ करके अपने कब्जें में रखा। परिवादी श्री विकास नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री प्रवीण कुमार अपनें वाहन स्कॉर्पियों सहित डांगियावास बस स्टेण्ड पर पहुंचा। श्री प्रवीण कुमार गाडी से नीचें उत्तर कर मेरे पास आया और एक मिठाई की दुकान पर नास्ता करतें हुए मेरे से बातचीत की। मुझे श्री प्रवीण कुमार नें कहा कि आपकों गाडी तों बरामद करवानी ही पडेगी। डांगियावास से कापरडा पुलिस थाना कितना दूर है। जिस पर मेरे द्वारा कहा कि 15 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद श्री प्रवीण कुमार नें कहा कि आप कापरडा ही आ जाओं, साथ में ओमजी को लेकर आना। कापरडा थाना में आप जो तीन लाख रा०षि लेकर आये हो वो राशी मेरा स्टाफ जब कापरडा थानें के अन्दर चला जाये तब वह राशि मेरी गाडी में रख देना और मुझे थानें में आकर बता देना। इतना कह कर आरोपी श्री प्रवीण कुमार अपनें वाहन स्कॉर्पियों सहित अपनें दो तीन साथी व साथ में मुल्जिम श्री रमेश के साथ कापरडा की तरफ जयपुर हाईवे से निकल गये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों स्टॉफ व सभी हमराहीयान के सरकारी व निजी वाहन सें डांगियावास से कापरडा पुलिस थानें के लिए रवाना हुए और परिवादी श्री विकास को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हिदायत दी गई कि आप ओमजी को साथ लेकर ही कापरडा पुलिस थानें में श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक के पास रिश्वत राशी लेन देन के लिए जाना है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के डांगियावास से रवाना होकर पुलिस थाना कापरडा के आधा किलोमीटर पहले समय 04.00 पी.एम. पर पहुचे। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भीमंसिंह कानि. नम्बर 446 से ब्यूरों का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री विकास को सुपर्द कर श्री विकास कों श्री ओमजी के साथ रिष्वत राषि लेन देन के लिए उनके निजी वाहन ब्रेजा से पुलिस थाना कापरडा के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निजी व सरकारी वाहनों में ही बैठ कर रिश्वत राशी लेन देन के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 04.11 पी.एम. पर श्री भीमंसिह कानि. द्वारा वाटसटप कॉल से लेन देन का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस थाना कापरडा के सामनें पहुचा तों आरोपी श्री प्रवीण कुमार का स्कॉर्पियों वाहन खडा मिला। वाहन के पास चार पांच व्यक्ति खडे मिले। जिस पर परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भीमंसिह कानि. से प्राप्त करवाकर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपनी अभिरक्षा में रखा। इसके बाद परिवादी श्री विकास नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ईशारा कर बताया कि ये श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक है, जिसनें अभी कुछ देर पहले मुझे वाटसअप कॉल कर कहा कि आप ओमजी को हमारें पास छोड देना व आप एक लोवर टी-शर्ट लेकर आवो। उसी थैली में वो सामान डाल देना। उसके बाद मैनें ओमजी कों प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक के पास छोडा और मै मेरे प्राईवेट वाहन सें थानें से थोडा आगे दुकान पर जाकर एक लोवर टीशर्ट खरीदा व उसे एक प्लास्टिक की पीलें कलर की थैली में रखा एव प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक के कहे अनुसार रिश्वत राशि के पैकेट को भी उसी प्लास्टिक की थैली में रख दिया। तत्पष्चात् मै पुलिस थाना कापरडा के आगे खडें उनके स्कार्पियों वाहन के पास खडें प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक एवं अन्य लोगों के पास आया। तों प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक नें इशारे से उक्त पैकेट पास खडे मेरे मामा श्री रमेश जो उनकी कस्टडी में थे, को देनें का ईशारा किया। उन्होनें मुंह से कुछ नही बोला। इसी दौरान श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरों स्टॉफ की मदद से दस्तयाब किया तभी हरियाणा पुलिस के दो व्यक्ति नें जोर जोर से बोला कि हमारा मुल्जिम भाग गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो स्टॉफ की मदद से आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थाना कापरडा में लेकर आये। थानें के गेट के अन्दर सें श्रीमति सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस वर्दी में हमारें सामनें मुख्य गेट पर मिली। जिनकों मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपना व हमराहीयान का परिचय देकर ट्रैप कार्यवाही बाबत बताया। हरियाणा पुलिस के साथ आयें मुल्जिम श्री रमेश ब्यूरों जाब्ता के आनें से पहलें हरियाणा पुलिस को गच्चा देकर उनकी पकड से भाग निकला। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कापरडा श्रीमति सुनीता कुमारी कों हरियाणा पुलिस जाब्ते के मुल्जिम रमेष की दस्तयाबी हेतु निर्देशित कर ब्यूरों जाब्ता के श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को मय ब्यूरों जाब्ता के तलाष बाबत रवाना किया गया। हरियाणा पुलिस के श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थानें में सुरक्षित बैठाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें भी पुलिस थानें के आसपास हरियाणा पुलिस के मुल्जिम रमेष की तलाश की गई। कुछ समय पष्चात् श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस हरियाणा पुलिस के मुल्जिम रमेष को दस्तयाब कर हाजिर थाना आयी। साथ ही श्री अनिल कुमार बिशनोंई निरीक्षक पुलिस भी मय ब्यूरों जाब्ता के तलाष कर उपस्थित आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें मुल्जिम श्री रमेश कों सुरक्षा की दृश्टि सें पुलिस थाना कापरडा की हवालात में सुपर्द किया गया। जिस पर पुलिस थानें की हवालात में बन्द श्री रमेष सें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें रिष्वत राषि के पैकेट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तों उसनें बताया कि जब आपकी गाडिया आकर रूकी तों मेरे द्वारा पास में ही खडें रिष्तें मे बहनोई श्री प्रेमप्रकाश भादू को जो अपनी गाडी ट्रक के पास खडे थे, उनकों देकर मै धर्म

कांटे के पीछे से भाग गया था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री विकास को प्रेमप्रकाश को फोन करके उसकों श्री रमेश द्वारा दी गई थैली वापिस लानें हेतु कहा तों परिवादी श्री विकास नें अपनें मोबाईल से श्री प्रेमप्रकाश भादू को फोन करके पुलिस थाना कापरडा आने हेतु कहा। जिस पर कुछ समय पशात श्री प्रेमप्रकाश भादू अपनें निजी वाहन सें पुलिस थाना कापरडा पर आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों बताया कि श्री रमेश जी मेरे सालें जी नें मुझे एक थैली दी थी। मुझे यह नही पता था कि इसमें क्या है। मैनें सोचा कि कोई इनका निजी सामान होगा। जिस पर मै गलतफहमी में यह प्लास्टिक की थैली लेकर चला गया था। मुझे श्री विकास नें बताया कि उस प्लास्टिक की थैली में 3 लाख रूपयें रखें हुए है। जिस पर मै तुरन्त पुलिस थानें पहुंचा। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, रूबरू परिवादी एवं ब्यूरों जाब्ता, मुल्जिम रमेश व श्री प्रेमप्रकाश भादू के समक्ष रिश्वत राशी बरामदगी की कार्यवाही थानाधिकारी पुलिस थाना कापरडा के कार्यालय कक्ष में सरकारी फोन में श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 से विडियोग्राफी सरकारी फोन से षुरू करवाई गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री प्रवीण सहायक उप निरीक्षक से उनका परिचय पूछा तों उसनें अपना नाम श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्राच पालम विहार, जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा बताया। पुलिस थाना सदर के प्रकरण संख्या 811/2025 में अनुसंधान बाबत आना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री प्रवीण कुमार सें 3 लाख रूपयें रिश्वत राशी प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि मैनें गाडी बरामद करनें हेतु परिवादी श्री विकास को कहा था। रिष्वत राशि की मांग नही की गई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री विकास से नाम पता पूछा तो उसनें बताया कि मेरा नाम विकास पुत्र श्री जोराराम होना बताया व खेजडली का रहनें वाला बताया। परिवादी से रिश्वत राशी की मांग आरोपी द्वारा करनें के सम्बन्ध मे पूछा तों बताया कि पहलें हम गुडगांव गये थे। जहां पर हमारें से श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा पांच लाख रूपयें की मांग मेरे मामा की मदद करनें की एवज में मांगे थे। इसके बाद कुछ कम का कहनें पर चार लाख रूपयं की मांग की थी। इसके बाद हम जोधपुर आयें तों इन्होनें हमें डांगियावास पुलिस थानें में कल दिनांक 19.12.2025 को बुलाया और मेरे से मेरे मामा की मदद करनें, मारपीट नही करनें की एवज में श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा तीन लाख रूपयें रिश्वत की मांग की थी। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक नें दिनांक 19.12.2025 को पुलिस थाना डांगियावास में ईशारें से भी तीन लाख रूपयं की मांग की व बोल कर भी तीन लाख रूपयें की मांग की गई। इसके बाद परिवादी श्री विकास ने बताया कि आज इन्होनें मुझे फोन करके पुलिस थाना डांगियावास रिश्वत राशी लेकर बुलाया था। मै रिष्वत राषि लेकर डांगियावास आया भी था परन्तु इनके द्वारा कहा कि आप कापरडा आ जाओं वही पर रिश्वत राशी ले लेगे। इसके बाद आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक सें रिश्वत राशी लेन देन बाबत पूछताछ की गई तों उसनें कहा कि मैनें सामान देने बाबत कहा था। रिश्वत राशी लेनें बाबत नही कहा था। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें मुल्जिम रमेश से रिश्वत राशी प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछा तों उसने बताया कि मैनें सहायक उप निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार के मोबाईल फोन से वाटसअप सें मेरे भाणजें श्री विकास को कॉल कर राशी की व्यवस्था करनें बाबत कहा था क्योंकि मुझे श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस रिमाण्ड में और मुकदमों में नही लेनें, मारपीट नही करनें ईत्यादि बाबत मदद करनें के लिए राशी देनें बाबत कहा था। इसके बाद आज भी पुलिस थाना डांगियावास थानें के सामनें भी मेरा भाणजा तीन लाख रूपयें लेकर उपस्थित हुआ था। परन्तु मेरे रिश्तेदार ओमजी को लेकर आने बाबत विकास को कहा था। जिस पर मेरा भाणजा विकास आज ओमजी को साथ लेकर राशी देनें हेतु कापरडा पुलिस थाना आया था। मेरे भाणजें विकास द्वारा जब राशी प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक को देनी चाही तों इनके द्वारा मुझे राशि देने बाबत कहा। मैनें राशी ली ही थी कि इतनें में आपकी टीम आयी तों मैनें मेरे रिश्ते में सालें श्री प्रेमप्रकाश भादू को देकर मै वहां से चला गया था। तत्पचात श्री प्रेमप्रकाश भादू से पता ईत्यादि की पूछताछ की गई तों बताया कि मेरा नाम प्रेमप्रकाश भादू पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई बताया व गर्वमेन्ट ठेकेदार होना बताया, सायरपुरा के अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र का काम चलना बताया। मै मेरे खण्डे की गाडी का धर्म काण्टा जो पुलिस थाना कापरडा के सटे हुए स्थित है, पर तोल करवा रहा था, और रवाना हो रहा था, इतनें में ही श्री रमेश जी आयें और मुझे प्लास्टिक की थैली देकर भाग गये। मैने सोचा कोई इनका सामान होगा। मै गाडी लेकर चला गया। जब गाडी खाली करके वापिस आ रहा था तों श्री विकास नें मुझे फोन किया गया कि मामाजी नें आपकों थैली दी वो कहा है। जिस पर मैनें कहा कि मेरे पास पडी है। जिस पर यह थैली लेकर उपस्थित हुआ। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पूछा की इसमें क्या है तो इन्होनें कहा कि मुझे कुछ भी पता नही था कि इसमें क्या है। तत्पचात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री विकास से पूछा कि इसमें कितने रूपयं है तो विकास नें कहा कि इसमें तीन लाख रूपयें है। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें श्री प्रेमप्रकाश भादू द्वारा प्रस्तुत प्लास्टिक की थैली स्वतन्त्र. गवाह श्री देवीदास को सुपर्द की गई व उनसे चैक कराया गया। तों प्लास्टिक की थैली में सें लोवर, टी-शर्ट, व प्लास्टिक की थैली में दूसरी प्लास्टिक की थैली जिसमं रिश्वत राशी रखी हुई है। उक्त रिश्वत राशी देवीदास को देकर फर्द पेशकसी श्री राकेश को सुपर्द कर रिश्वती राशी का मिलान करवाया गया। तों फर्द पेशकशी के अनुसार उक्त राशी फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के कुल 300 नोट मूल्य कुल एक लाख पचास हजार रूपयें होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1 एक नोट पांच सौ रूपये का 3SA 727989, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AT 539506, 3 एक नोट पांच सौ रूपये का 7EV 623346, 4 एक नोट पांच सौ रूपये का 2NU 253735, 5 एक नोट पांच सौ रूपये का 3KP 214854, 6 एक नोट पांच सौ रूपये का 6TE 434227, 6 एक नोट पांच सौ रूपये का 7ND 878601 7 एक नोट पांच सौ रूपये का 3KV 915163, 8 एक नोट पांच सौ रूपये का 4KK 625906, 9 एक नोट पांच सौ रूपये का 6GP 275770 10, एक नोट पांच सौ रूपये का 6GP 275770, 11 एक नोट पांच सौ रूपये का 1NP 755498, 12 एक नोट पांच सौ रूपये का 6BU 839329, 13 एक नोट पांच सौ रूपये का 8BK 075135, 14 एक नोट पांच सौ रूपये का 9AH 122602, 15 एक नोट पांच सौ रूपये का ,7HU 758365, 16 एक नोट पांच सौ रूपये का 3EA 106242, 17 एक नोट पांच सौ रूपये का 9EH 081527, 18 एक नोट पांच सौ रूपये का 9VH 017505, 19 एक नोट पांच सौ रूपये का 7LL 633639, 20 एक नोट पांच सौ रूपये का 3VA 269870, 21 एक नोट पांच सौ रूपये का 4AM 752394, 22 एक नोट पांच सौ रूपये का 6FU 217827, 23 एक नोट पांच सौ रूपये का 4KL 014032, 24 एक नोट पांच सौ रूपये का 0WB 394062, 25 एक नोट पांच सौ रूपये का 4EE 923381, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 1CB 780116, 27 एक नोट पांच सौ रूपये का 0ES 753518, 28 एक नोट पांच सौ रूपये का 3FV 539242, 29 एक नोट पांच सौ रूपये का 4AR 583529, 30 एक नोट पांच सौ रूपये का 2EH 720579, 31 एक नोट पांच सौ रूपये का 3UW 747605, 32 एक नोट पांच सौ रूपये का 3PH 342439, 33 एक नोट पांच सौ रूपये का 5EK 625450, 34 एक नोट पांच सौ रूपये का 4CQ 879873, 35 एक नोट पांच सौ रूपये का 5RP 981690, 36 एक नोट पांच सौ रूपये का 0KH 167334, 37 एक नोट पांच सौ रूपये का 5SV 564596, 38 एक नोट पांच सौ रूपये का3RG 414394, 39 एक नोट पांच सौ रूपये का 6TR 195188, 40 एक नोट पांच सौ रूपये का 4HK 450204, 41 एक नोट पांच सौ रूपये का 5QD 737784, 42 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AN 791961, 43 एक नोट पांच सौ रूपये का 2HA 149351, 44 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AA 259602, 45 एक नोट पांच सौ रूपये का 2TT 387158, 46 एक नोट पांच सौ रूपये का 7UP 995106, 47 एक नोट पांच सौ रूपये का 5UE 790490, 48 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BR 249303, 49 एक नोट पांच सौ रूपये का 8QL 280927, 50 एक नोट पांच सौ रूपये का 2EH 196504, 51 एक नोट पांच सौ रूपये का 8BH 655409, 52 एक नोट पांच सौ रूपये का 5SN 013544, 53 एक नोट पांच सौ रूपये का 8SK 431466, 54 एक नोट पांच सौ रूपये का 1VS 653557, 55 एक नोट पांच सौ रूपये का 1TD 530485, 56 एक नोट पांच सौ रूपये का 2GV 304842, 57 एक नोट पांच सौ रूपये का 8QQ 294349, 58 एक नोट पांच सौ रूपये का 6CN 960438, 59 एक नोट पांच सौ रूपये का 0PD 507888, 60 4LR 838717, 61 एक नोट पांच सौ रूपये का 2GB 616244, 62 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RH 738247, 63 एक नोट पांच सौ रूपये का 1MW 123238, 64 एक नोट पांच सौ रूपये का 5WK 367837, 65 एक नोट पांच सौ रूपये का 9SE 208006, 66 एक नोट पांच सौ रूपये का 1VU 805330, 67 एक नोट पांच सौ रूपये का 0FD 666259, 68 एक नोट पांच सौ रूपये का 6AB 770823, 69 एक नोट पांच सौ रूपये का 0RN 424656, 70 एक नोट पांच सौ रूपये का 8VP 158870, 71 एक नोट पांच सौ रूपये का 0BC 281989, 72 एक नोट पांच सौ रूपये का 6KV 113321, 73 एक नोट पांच सौ रूपये का 9SR 730250, 74 एक नोट पांच सौ रूपये का 7VR 192212, 75 एक नोट पांच सौ रूपये का 0AH 143043, 76 एक नोट पांच सौ रूपये का 0VV 680609, 77 एक नोट पांच सौ रूपये का 9QG 846631,78 एक नोट पांच सौ रूपये का 9WB 730080, 79 एक नोट पांच सौ रूपये का 3PN 312463, 80 एक नोट पांच सौ रूपये का 4UN 960477, 81 एक नोट पांच सौ रूपये का 7TN 196272, 82 एक नोट पांच सौ रूपये का 4MW 711882, 83 एक नोट पांच सौ रूपये का 3GK 757162, 84 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 057097, 85 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 057098, 86 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 057099, 87 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 057100, 88 एक नोट पांच सौ रूपये का 5UB 018644, 89 0SR 605467, 90 एक नोट पांच सौ रूपये का 6QR 663093, 91 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KD 174980, 92 एक नोट पांच सौ रूपये का 7FH 883619, 93 एक नोट पांच सौ रूपये का 1QS 756496, 94 एक नोट पांच सौ रूपये का 8BE 923157, 95 एक नोट पांच सौ रूपये का 0VF 638859, 96 एक नोट पांच सौ रूपये का 4FU 258541, 97 एक नोट पांच सौ रूपये का 3WM 640161, 98 एक नोट पांच सौ रूपये का 7LE 449079, 99 एक नोट पांच सौ रूपये का 1GL 113958, 100 एक नोट पांच सौ रूपये का 9HU 897821, 101 एक नोट पांच सौ रूपये का 4KP 856494, 102 एक नोट पांच सौ रूपये का 1BG 232099, 103 एक नोट पांच सौ रूपये का 0DM 377895, 104 एक नोट पांच सौ रूपये का 6MS 187339,105 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AS 066819, 106 एक नोट पांच सौ रूपये का 0WK 468520, 107 एक नोट पांच सौ रूपये का 9UG 641847, 108 एक नोट पांच सौ रूपये का 4QQ 603175, 109 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RS 416694 , 110 एक नोट पांच सौ रूपये का 3WS 262585, 111 एक नोट पांच सौ रूपये का 0HS 333440, 112 एक नोट पांच सौ रूपये का 3FG 282701, 113 एक नोट पांच सौ रूपये का 2EA 294924, 114 एक नोट पांच सौ रूपये का 8QD 558276, 115 एक नोट पांच सौ रूपये का 3WN 737485, 116 एक नोट पांच सौ रूपये का 6EL 555797, 117

एक नोट पांच सौ रूपये का 0KL 163485, 118 एक नोट पांच सौ रूपये का 4PN 921033, 119 एक नोट पांच सौ रूपये का 1VG 296441, 120 एक नोट पांच सौ रूपये का 5RT 438550, 121 एक नोट पांच सौ रूपये का 4BK 431168, 122 एक नोट पांच सौ रूपये का 0QG 356324, 123 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AU 096720, 124 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 680003, 125 एक नोट पांच सौ रूपये का 2NE 277178, 126 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BV 938343, 127 एक नोट पांच सौ रूपये का 9NU 019115, 128 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AK 360012, 129 एक नोट पांच सौ रूपये का 8NH 766727, 130 एक नोट पांच सौ रूपये का 3TH 795190, 131 एक नोट पांच सौ रूपये का 8PK 974190, 132 एक नोट पांच सौ रूपये का 4FK 237912, 133 एक नोट पांच सौ रूपये का 4AW 804826, 134 एक नोट पांच सौ रूपये का 2PL 513639, 135 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RQ 272264, 136 एक नोट पांच सौ रूपये का 5KQ 095221, 137 एक नोट पांच सौ रूपये का 5HU 641425, 138 एक नोट पांच सौ रूपये का 5HU 641424, 139 एक नोट पांच सौ रूपये का 5HU 641423, 140 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HU 041645, 141 एक नोट पांच सौ रूपये का 5KB 991390, 142 एक नोट पांच सौ रूपये का 1KN 482924, 143 एक नोट पांच सौ रूपये का 1PV 458995, 144 एक नोट पांच सौ रूपये का 1KB 790377, 145 एक नोट पांच सौ रूपये का 2FK 162624, 146 एक नोट पांच सौ रूपये का 7AQ 869161, 147 एक नोट पांच सौ रूपये का 3HA 531497, 148 एक नोट पांच सौ रूपये का 9GW 156355, 149 एक नोट पांच सौ रूपये का 3FR 658083, 150 एक नोट पांच सौ रूपये का 5DT 784908, 151 एक नोट पांच सौ रूपये का 3RG 259802, 152 एक नोट पांच सौ रूपये का 3HA 531498, 153 एक नोट पांच सौ रूपये का 3HA 531499, 154 एक नोट पांच सौ रूपये का 5ET 479229, 155 एक नोट पांच सौ रूपये का 4KP 220357, 156 एक नोट पांच सौ रूपये का 8TD 914909, 157 एक नोट पांच सौ रूपये का 5EQ 590273, 158 एक नोट पांच सौ रूपये का 8SB 944579, 159 एक नोट पांच सौ रूपये का 1HE 069872, 160 एक नोट पांच सौ रूपये का 8DP 594199, 161 एक नोट पांच सौ रूपये का 2UU 569193, 162 एक नोट पांच सौ रूपये का 8FD 702235, 163 एक नोट पांच सौ रूपये का 6NS 983775, 164 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AM 200938, 165 एक नोट पांच सौ रूपये का 2HF 256160, 166 एक नोट पांच सौ रूपये का 0DM 333200, 167 एक नोट पांच सौ रूपये का 0AK 568035, 168 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KB 079848, 169 एक नोट पांच सौ रूपये का 4DH 494003, 170 एक नोट पांच सौ रूपये का 4FK 100998, 171 एक नोट पांच सौ रूपये का 7HU 563053, 172 एक नोट पांच सौ रूपये का 0HT 521851, 173 एक नोट पांच सौ रूपये का 4BP 261768, 174 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BK 706027, 175 एक नोट पांच सौ रूपये का 8WF 921646, 176 एक नोट पांच सौ रूपये का 6GA 092341, 177 एक नोट पांच सौ रूपये का 5DC 430773, 178 एक नोट पांच सौ रूपये का 6UD 737774, 179 एक नोट पांच सौ रूपये का 1MS 833013, 180 एक नोट पांच सौ रूपये का 9DT 790899, 181 एक नोट पांच सौ रूपये का 4KM 258989, 182 एक नोट पांच सौ रूपये का 7DR 570098, 183 एक नोट पांच सौ रूपये का 6FR 946928, 184 एक नोट पांच सौ रूपये का 3QC 107189, 185 एक नोट पांच सौ रूपये का 9AT 254835, 186 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RA 409167, 187 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RA 409166, 188 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RA 409165, 189 एक नोट पांच सौ रूपये का 3NU 990109, 190 एक नोट पांच सौ रूपये का 1HA 108211, 191 एक नोट पांच सौ रूपये का 7QU 384628, 192 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AP 907386, 193 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CF 086426, 194 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BH 929338, 195 एक नोट पांच सौ रूपये का 3HR 398579, 196 एक नोट पांच सौ रूपये का 5SB 029348, 197 एक नोट पांच सौ रूपये का 5SV 263579, 198 एक नोट पांच सौ रूपये का 0AS 157193, 199 एक नोट पांच सौ रूपये का 1KC 402614, 200 एक नोट पांच सौ रूपये का 1NA 966411, 201 एक नोट पांच सौ रूपये का 3DD 427666, 202 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HV 986062, 203 एक नोट पांच सौ रूपये का 7DE 118853, 204 एक नोट पांच सौ रूपये का 6DP 427706, 205 एक नोट पांच सौ रूपये का 8TA 955573, 206 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG 488734, 207 एक नोट पांच सौ रूपये का 2DH 580629, 208 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BF 547239, 209 एक नोट पांच सौ रूपये का 5FW 761186, 210 एक नोट पांच सौ रूपये का 4EV 847881, 211 एक नोट पांच सौ रूपये का 7TK 155672, 212 एक नोट पांच सौ रूपये का 4CG 685032, 213 एक नोट पांच सौ रूपये का 8FE 855978, 214 एक नोट पांच सौ रूपये का 4GR 903017, 215 एक नोट पांच सौ रूपये का 9KM 108541, 216 एक नोट पांच सौ रूपये का 7BF 330637, 217 एक नोट पांच सौ रूपये का 7BF 330638, 218 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG 488739, 219 एक नोट पांच सौ रूपये का 0AG 990971, 220 एक नोट पांच सौ रूपये का 8NB 966273, 221 एक नोट पांच सौ रूपये का 7GG 083967, 222 एक नोट पांच सौ रूपये का 9GR 902275, 223 एक नोट पांच सौ रूपये का 1GW 589199, 224 एक नोट पांच सौ रूपये का 9CV 929555, 225 एक नोट पांच सौ रूपये का 2ET 506553, 226 एक नोट पांच सौ रूपये का 9NT 663045, 227 एक नोट पांच सौ रूपये का 4PS 146218, 228 एक नोट पांच सौ रूपये का 3UC 899951, 229 एक नोट पांच सौ रूपये का 6AC

213603, 230 एक नोट पांच सौ रूपये का 0GA 413620, 231 एक नोट पांच सौ रूपये का 4AL 771646, 232 एक नोट पांच सौ रूपये का 1UH 805291, 233 एक नोट पांच सौ रूपये का 0CR 129909, 234 एक नोट पांच सौ रूपये का 7QQ 528058, 235 एक नोट पांच सौ रूपये का 7ME 718704, 236 एक नोट पांच सौ रूपये का 4WF 341437, 237 एक नोट पांच सौ रूपये का 4UE 330346, 238 एक नोट पांच सौ रूपये का 7DE 139476, 239 एक नोट पांच सौ रूपये का 7MP 315190, 240 एक नोट पांच सौ रूपये का 2VD 147510, 241 एक नोट पांच सौ रूपये का 4DP 266114, 242 एक नोट पांच सौ रूपये का 9HT 217032, 243 एक नोट पांच सौ रूपये का 2AF 871588, 244 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KG 285789, 245 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AR 482142, 246 एक नोट पांच सौ रूपये का 3LM 372238, 247 एक नोट पांच सौ रूपये का 3ML 489134, 248 एक नोट पांच सौ रूपये का 2PN 476732, 249 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AM 001719, 250 एक नोट पांच सौ रूपये का 4QE 573026, 251 एक नोट पांच सौ रूपये का 2KC 845888, 252 एक नोट पांच सौ रूपये का 5DC 782181, 253 एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR 368794, 254 एक नोट पांच सौ रूपये का 1CH 851784, 255 एक नोट पांच सौ रूपये का 7SL 990080, 256 एक नोट पांच सौ रूपये का 1AT 569407, 257 एक नोट पांच सौ रूपये का 5PV 473056, 258 एक नोट पांच सौ रूपये का 3DA 956203, 259 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BW 818802, 260 एक नोट पांच सौ रूपये का 6EC 912567, 261 एक नोट पांच सौ रूपये का 5TD 018438, 262 एक नोट पांच सौ रूपये का 5LT 002163, 263 एक नोट पांच सौ रूपये का 9GQ 822494, 264 एक नोट पांच सौ रूपये का 1RB 281802, 265 एक नोट पांच सौ रूपये का 8CH 019225, 266 एक नोट पांच सौ रूपये का 6WQ 413805, 267 एक नोट पांच सौ रूपये का 9MR 099410, 268 एक नोट पांच सौ रूपये का 8TN 391761, 269 एक नोट पांच सौ रूपये का 7FQ 784328, 270 एक नोट पांच सौ रूपये का 8BL 251233, 271 एक नोट पांच सौ रूपये का 4GU 169836, 272 एक नोट पांच सौ रूपये का 5SV 292633, 273 एक नोट पांच सौ रूपये का 4DR 447511, 274 एक नोट पांच सौ रूपये का 5UG 166372, 275 एक नोट पांच सौ रूपये का 8NU 538987, 276 एक नोट पांच सौ रूपये का 3EG 196710, 277 एक नोट पांच सौ रूपये का 3BA 470973, 278 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WV 343831, 279 एक नोट पांच सौ रूपये का 9FW 078505, 280 एक नोट पांच सौ रूपये का 6CP 506662, 281 एक नोट पांच सौ रूपये का 1WA 900157, 282 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG 607811, 283 एक नोट पांच सौ रूपये का 5CG 607812, 284 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HA 462637, 285 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HA 462638, 286 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HA 462639, 287 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HA 462640, 288 एक नोट पांच सौ रूपये का 8HA 462641, 289 एक नोट पांच सौ रूपये का 5GA 107410, 290 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KL 705956, 291 एक नोट पांच सौ रूपये का 8SR 856850, 292 एक नोट पांच सौ रूपये का 1AB 633907, 293 एक नोट पांच सौ रूपये का 0KB 186176, 294 एक नोट पांच सौ रूपये का 8AL 875664, 295 एक नोट पांच सौ रूपये का 2FW 139694, 296 एक नोट पांच सौ रूपये का 6BT 082948, 297 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KT 170568, 298 एक नोट पांच सौ रूपये का 8BR 961021, 299 एक नोट पांच सौ रूपये का 2WL 810240, 300 एक नोट पांच सौ रूपये का 6UT 370123 उक्त भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट के कुल राशि 1,50,000/-रूपये को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। उक्त डमी करेन्सी के 500-500 रूपये के 300 नोट जिन पर क्रम संख्या 301 से 600 तक अंकित है, को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। रिश्वत राशी एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर रखी गई थी तथा उक्त थैली लोवर टी- शर्ट की दूसरी प्लास्टिक की थैली में रखी गई थी, जिस पर उक्त लोवर टी-शर्ट व दोनों प्लास्टिक की थैलीयों पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर कर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षकर करवाकर मार्क "एस" अंकित कर कब्जा ब्यूरो ली गई। चूंकि रिशावती राशी 3 लाख रूपयें को रूबरू ब्यूरो कार्यालय में गवाहान व परिवादी के समक्ष जिस प्लास्टिक थैली में डालकर परिवादी को दी गई थी, उक्त प्लास्टिक की थैली कों श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक के कहनें पर परिवादी द्वारा लोवर टीषर्ट की नई प्लास्टिक थैली के अन्दर डाल दिया गया था, जिस कारण रिश्वति राशी की प्लास्टिक थैली व रिशावती राशी को आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री रमेश, श्री प्रेमप्रकाश भादू नें अपनें हाथों से नही छूआ था, इस कारण आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री रमेष, श्री प्रेमप्रकाष भादू के हाथों का धोवन नही लिया गया। आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल फोन सैमसंग एस 23 मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर व मोबाईल में सिम नम्बर जीयों कम्पनी की एवं दूसरी सिम नम्बर वीआई कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी श्री प्रवीण कुमार का हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र. जो दिनांक 17.06.2025 को जारी हो रखा है और 30.06.2030 तक वैध है, को भी कब्जा ब्यूरों लिया गया। प्रकरण संख्या 811/2025 पुलिस थाना सदर जिला गुरूग्राम

राज्य हरियाणा की पत्रावली भी आरोपी के पास उनकी गाडी में मिली। जिसकी कार्यवाही में आवष्यकता होनें पर उक्त पत्रावली की बाहर से फोटो प्रति करवाकर प्रत्येक पृष्ठ पर स्वतन्त्र गवाह एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर पेज संख्या 01 से 141 तक कब्जा ब्यूरों ली गई। तथा मूल पत्रावली श्री गजेन्द्र कानि. नम्बर 3800 को सुपर्द की गई। चूंकि आरोपी श्री प्रवीण सहायक उप निरीक्षक के साथ आयें जाब्तें में श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अषोक कुमार जाति अहीर उम्र 32 साल निवासी ग्राम धामलावास, तहसील रेवाडी जिला रेवाडी राज्य हरियाणा हाल कानि. नम्बर 3800, क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा, श्री प्रिन्स पुत्र श्री बिजेन्द्र जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी ग्राम सावड तहसील चरखीदादरी राज्य हरियाणा हाल कानि. नम्बर 5309, क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा, श्री कपूरसिंह पुत्र श्री धनपत सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी ग्राम मकसूसपुर तहसील नारनौल जिला महेन्दगढ राज्य हरियाणा हाल कानि. नम्बर 2532 क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा मुल्जिम श्री रमेश को लेकर अनुसंधान हेतु जोधपुर आयें थे। जिस पर प्रवीण सहायक उप निरीक्षक के अलावा तीनों कर्मचारियों की रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन देन में भूमिका नही पाई गई है।-जिस पर इनकों बाद मौके की ट्रैप कार्यवाही के बाद मुल्जिम रमेश को लेकर पुनः गुरूग्राम जानें हेतु भिजवाया जावेगा। परिवादी श्री विकास के मामा श्री रमेश को प्रकरण में मदद करनें, मारपीट नही करनें बाबत दिनांक 19.12.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित होकर रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 19.12.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री प्रवीण सहायक उप निरीक्षक द्वारा 3,00,000 रूपये रिष्वत राषि की मांग करना, आज दिनांक 20.12.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना कापरडा के आगे परिवादी श्री विकास से 3,00,000/-रूपये ईशारें से श्री रमेश को दिलवाना, रमेश द्वारा-रिश्वत राशी का पैकेट श्री प्रेमप्रकाश भादू को देना, श्री प्रेमप्रकाश भादू से रूबरू गवाहान रिश्वती राशी बरामद होना पाये जानें पर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। श्री रमेश पुत्र श्री शिवलाल जाति बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी ग्राम गुडा बिश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर व श्री प्रेमप्रकाश भादू पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 36 साल निवासी ग्राम खेजडली कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर कों प्लास्टिक की थैली में रिश्वती राशी के होनें के बारें में पता नही होनें के कारण इनकी रिश्वती राशी लेन देन में संलिप्तता नही पाई गई है। श्री रमेश गलतफहमी में मौका मिलनें पर पास मे खडे जानकार प्रेमप्रकाश भादू कों उक्त प्लास्टिक की थैली को पकडाकर मौके से फरार हो गया था। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 11.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित आरोपी के साथी श्री प्रिन्स कानि. को रूबरू दी गई। वक्त 11.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक को टे्प कार्यवाही मे गिरफतार कर लिया गया है। जिस पर उनकी अभिरक्षा में गिरतार शुदा मुल्जिम श्री रमेश कुमार पुत्र श्री शिवलाल जाति बिश्नोई निवासी गुडा बिश्नोइयान पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर, वाहन स्कॉर्पियों एचआर 26 जीवी 1119, एक ग्लोक पिस्टल मय पांच जिन्दा कारतूस, एक आईफोन बन्द स्थिति में, प्रकरण संख्या 811/2025 की मूल पत्रावली ईत्यादि को श्री प्रिन्स कानि., श्री गजेन्द्र कानि. श्री कपूरसिंह ड्राईवर कानि. को आवश्यक हिदायत कर सुपर्द किया गया व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.12.2025 वक्त 01.50 ए. एम. पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व दो निजी वाहनों सें मय आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा एवं जब्त किये गये प्रादर्श रिश्वत राशि शील्ड शुदा 1,50,000 रूपयें, डमी राशि के 500-500 के 300 नोट, रिश्वती राशी रखी हुई प्लास्टिक थैली एवं लोवर टी-शर्ट रखी प्लास्टिक की थैली का सफेद कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट मार्क एस. आरोपी का विभागीय परिचय पत्र, आरोपी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन खुली हालात में एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं पत्रावली एवं मौके पर तैयार किये गये दस्तावेज सहित पुलिस थाना कापरडा सें जोधपुर के लिए रवाना हुआ। व परिवादी के साथ आयें अन्य व्यक्ति श्री ओमजी को पुलिस थाना कापरडा सें रूखस्त किया गया। वक्त 2.30 ए.एम.पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा कार्यालय

पहुच रिश्वत राशि शील्ड शुदा 1,50,000 रूपयें, डमी राशि के 500-500 के 300 नोट, रिश्वत राशी रखी हुई प्लास्टिक थैली एवं लोवर टी-शर्ट रखी प्लास्टिक की थैली का सफेद कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट मार्क एस., आरोपी का विभागीय परिचय पत्र, आरोपी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के खुली हालात में माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी कों प्रातः 10.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। वक्त 02.35 ए.एम. पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 मय श्री बलराम कानि0 252, श्री गणेष कुमार कानि. 219 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूएल 5813 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उपनिरीक्षक सहित राजकीय चिकित्सालय पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर सुरक्षा की दृश्टि से पुलिस थाना में जमा करवाने हेतु तहरीर देकर रवाना किया गया। वक्त 4.15 ए.एम. पर तक उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा श्री अचलाराम हैड कानि0 61 मय हमराहीयान जाब्ता के रवाना होकर आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उपनिरीक्षक का राजकीय चिकित्सालय पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की तत्पष्चात रवाना होकर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी पहुच आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उपनिरीक्षक को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुडी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर कार्यालय पहुचे। वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री देवीदास कनिश्ठ सहायक व श्री राकेष कनिश्ठ सहायक एवं परिवादी श्री विकास उपस्थित आया। वक्त 10.15 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री विकास पुत्र श्री जोराराम उम्र 21 वर्श जाति बिष्नोई निवासी खेजडली पुलिस थाना व तहसील लूणी जिला जोधपुर व आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के मध्य दिनांक 19.12.2025 कों रूबरू रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्ता जो वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री विकास ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना होना बताया। आवाज की पहचान परिवादी श्री विकास द्वारा की गई। दौरानें मांग सत्यापन परिवादी व परिवादी के मामा श्री रमेश की मोबाईल पर प्रकाश निवासी रामडावास से की गई वार्ता की पहचान परिवादी श्री विकास द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन मेमोरी कार्ड में सेव की गई। उक्त तीन मेमोरी कार्ड में से से एक मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में षील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार किया गया। उक्त दोनो खुली हालत की तैयार मेमोरी कार्ड एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री विकास एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान, श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 के ट्रैप कार्यवाही में नक्षा मौका घटना स्थल मूर्तिब करनें हेतु एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण सें पुलिस थाना कापरडा के लिए मय सरकारी वाहन व चालक श्री लालाराम कानि. नम्बर 638 के रवाना हुआ। वक्त 02.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर पुलिस थाना कापरडा पहुंचा। जहां पर रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष घटना स्थल का नक्षा मौका परिवादी की निषादेही पर श्री अचलाराम हैड कानि. सें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देषानुसार मूर्तिब करवाया गया। बाद नक्षा मौका मूर्तिब कर पुलिस थाना कापरडा से रवाना होकर चौकी पर उपस्थित आया। धटना स्थल का नक्षा मौका रनिंग नोट किया गया। वक्त 02.15 पी.एम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री विकास पुत्र श्री जोराराम उम्र 21 वर्श जाति बिश्नोई निवासी खेजडली पुलिस थाना व तहसील लूणी जिला जोधपुर व आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के मध्य दिनांक 20.12.2025 कों रिष्वत राषि वक्त लेनदेन पूर्व डांगियावास बस स्टैण्ड पर हुई रूबरू वार्ता, जो वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि वक्त लेन देन से पूर्व तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री विकास ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना होना

बताया। आवाज की पहचान परिवादी श्री विकास द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन मेमोरी कार्ड में सेव की गई। उक्त तीन मेमोरी कार्ड में से से एक मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में षील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार किया गया। उक्त दोनो खुली हालत की तैयार मेमोरी कार्ड एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 03.00 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री विकास पुत्र श्री जोराराम उम्र 21 वर्ष जाति बिष्नोई निवासी खेजडली पुलिस थाना व तहसील लूणी जिला जोधपुर व आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के मध्य दिनांक 20.12.2025 कों रिश्वती राशी वक्त लेनदेन पूर्व वाटसअप पर परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ता, जो वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल व्रॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि वक्त लेन देन से पूर्व वाटसअप वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री विकास ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना होना बताया। आवाज की पहचान परिवादी श्री विकास द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन मेमोरी कार्ड में सेव की गई। उक्त तीन मेमोरी कार्ड में से से एक मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में षील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार किया गया। उक्त दोनो खुली हालत की तैयार मेमोरी कार्ड एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त . 03.20 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री विकास पुत्र श्री जोराराम उम्र 21 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी खेजडली पुलिस थाना व तहसील लूणी जिला जोधपुर व आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के मध्य दिनांक 20.12.2025 कों रिश्वती राशी वक्त लेनदेन रूबरू वार्ता परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ता, जो वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री विकास ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस की होना होना बताया। आवाज की पहचान परिवादी श्री विकास द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन मेमोरी कार्ड में सेव की गई। उक्त तीन मेमोरी कार्ड में से से एक मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार किया गया। उक्त दोनो खुली हालत की तैयार मेमोरी कार्ड एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 04.00 पी.एम. पर टेªप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की श्री ओमप्रकाष कानि. से सरकारी मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी रूबरू गवाहान व परिवादी श्री विकास के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से मोबाईल फोन को कनेक्ट कर उक्त रिकॉर्डिग कों श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 से दो मेमोरी कार्ड में सेव करवाई गई। जिसमें से एक मेमोरी कार्ड कों सफेद कपडे की थैली में डालकर शील्ड कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर प्रकरण का विवरण अंकित किया गया। दूसरे मेमोरी कार्ड को खुली हालात में रखा गया। उक्त दोनों मेमोरी कार्ड शील्ड शुदा व खुली हालात कों मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को जमा मालखाना करवाये गये।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही व उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यो के विश्लेषण से यह पाया गया कि परिवादी श्री विकास की हस्ताक्षरित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 19.12.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के कानि. श्री भीमसिंह नम्बर 446 को परिवादी श्री विकास के साथ डांगियावास भेजकर आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, क्राईम ब्रान्च पालम विहार, जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के मध्य करवाया गया तों आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री विकास के मामा श्री रमेश को पुलिस थाना सदर जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के प्रकरण संख्या 811/2025 में पुलिस रिमाण्ड के दौरान मारपीट व

परेशान नही करनें, मदद करने की एवज में 3 लाख रूपयें रिश्वत की मांग करना, दिनांक 20.12.2025 को वक्त रिश्वती राशी लेन-देन के दौरान आरोपी श्री प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना कापरडा के आगे परिवादी श्री विकास से 3,00,000/-रूपये इशारे से श्री रमेश को दिलवाना, रमेश द्वारा रिश्वती राशी का पैकेट वहां पर अपनें काम से उपस्थित श्री प्रेमप्रकाष भादू को देना, श्री प्रेमप्रकाष भादू से रूबरू गवाहान रिश्वती राशी बरामद होना पाये जानें पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। श्री रमेश पुत्र श्री शिववलाल जाति बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी ग्राम गुडा बिश्नोइयन तहसील लूणी जिला जोधपुर व श्री प्रेमप्रकाश भादू पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 36 साल निवासी ग्राम खेजडली कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर कों प्लास्टिक की थैली में रिश्वती राशी के होनें के बारें में पता नही होनें के कारण इनकी रिश्वती राशी लेन देन में संलिप्तता नही पाई गई है। श्री रमेश गलतफहमी में मौका मिलनें पर पास मे खडे जानकार प्रेमप्रकाश भादू कों उक्त प्लास्टिक की थैली को पकडाकर मौके से फरार हो गया था। जिस पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।अतः श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, क्राईम ब्रान्च पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के विरुध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।भवदीय,(पारस सोनी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश, उम्र 37 साल निवासी ग्राम सुरखपुर तहसील झज्जर जिला झज्जर राज्य हरियाणा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, क्राईम ब्रांच पालम विहार जिला गुरूग्राम राज्य हरियाणा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डुकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 365 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1922-25 दिनांक 23.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- Deputy commissioner of Police, Headquarters gurugram, 1st floor commissioner of Police gurugram, near Sohna Chawk, gurugram, Harayana. pin-122001. 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या) -

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 2 2/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)